न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 54/2021

1 महेन्द्र सिंह पुत्र हनुमानाराम जाति जाट निवासी सारी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1 उम्मेद सिंह पुत्र चनणाराम जाति जाट निवासी सारी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
2 मृतक श्रीराम पुत्र हनुमानाराम जाति जाट निवासी सारी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (दौराने प्रार्थना पत्र मृत्यु)
2/1 श्रीमती चन्द्रकला स्त्री स्व. श्रीराम
2/3 राजेन्द्र पुत्र स्व. श्रीराम
जाति जाट निवासी सारी तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
3 श्रीमती सुशीला स्त्री बलबीर
4 श्रीमती धनकोरी स्त्री महेन्द्र सिंह
5 नमन सिंह पुत्र हनुमानाराम
6 विजयसिंह पुत्र बलबीर
7 मानसिंह पुत्र बलबीर
8 श्रीमती मन्जु स्त्री राजेन्द्र सिंह
9 श्रीमती सरोज स्त्री विजय सिंह
10 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अ.धारा 1955 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 12.04.2021 बेअदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा मु.नं. 104/2012 मुकदमा उनवानी उम्मेदसिंह बनाम महेन्द्रसिंह वगै. अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री उम्मेदराज सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 30.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 104/2012 में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 उम्मेदसिंह ने विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया। विचारण न्यायालय ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के प्रार्थना पत्र को दिनांक 12.04.2021 को स्वीकार कर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 से 9 की सह खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 351 में से 300 वर्ग मीटर जमीन में रास्ता कायम करने का आदेश दिया इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 351 रकबा 3.67 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम सारी तहत तहसील चिड़ावा में स्थित है। उक्त जमीन से सहखातेदार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 लगायत 9 है। जमीन हाल खसरा नम्बर 396 रकबा 4.86 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम सारी में स्थित है। जमीन हाल खसरा नम्बर 396 का नामान्तकरण संख्या 479 दिनांक 16.10.2009 के माध्यम से विभाजन हो चुका है। विभाजन में खसरा नम्बर 396/1 रकबा 1.62 हैक्टेयर जमीन रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 उम्मेद सिंह पुत्र चनणाराम के हिस्से में आई है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 उम्मेदसिंह ने विचारण न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र पेश किया उसमें कही भी यह दर्ज नहीं किया कि खसरा नम्बर 396/1 की जमीन के लिये उसको रास्ते की आवश्यकता है। खसरा नम्बर 351 एवं खसरा नम्बर 396 के मध्य खसरा नम्बर 352, 355, 373 की जमीन स्थित है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 उम्मेदसिंह ने खसरा नम्बर 352, 355, 373 की जमीन में से रास्ते की जमीन की मांग नहीं की एवं नही सभी खातेदारों को पक्षकार बनाया। मौजुदा प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट महेन्द्र सिंह ने दिनांक 11.05.2012 को जवाब प्रार्थना पत्र मय किता 23 दस्तावेज पेश किये है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट की जवाब देही को व उसके साथ पेश किये किता 23 दस्तावेजों को आलौच्य निर्णय पारित करने में नजर अन्दाज किया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 उम्मेदसिंह व अन्य व्यक्तियों ने दिनांक 11.05.2010 को खसरा नम्बर 351 में से रास्ता खुलवाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार चिड़ावा ने धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दर्ज कर पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट मंगवाई थी। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार चिड़ावा के यहां 251

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की कार्यवाही चली थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संसोधन कर धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु की तब धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को विलोपित या निर्षित नहीं किया। उपरोक्त प्रकार से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व प्रशासन की मौजुदा रास्ते के लिये धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागु होने बाबत स्वीकृति रही है। विचारण न्यायालय ने उपरोक्त कानूनी स्थिति को समझने में भारी भुल की है। ग्राम सारी से ग्राम सुलताना एक कच्चा रास्ता कदीमी हाल खसरा नम्बर 328, 377, 378, 379, 380, 384, 386 से आगे दक्षिण दिशा से सुलताना जाता है जो मौके पर चालु है। उक्त खसरा नम्बर में से प्रचलित उक्त रास्ता व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के खेत के मध्य मात्र हाल खसरा नम्बर 385 की जमीन लगती है। उपरोक्त खसरा नम्बर जाने वाले रास्ते में से प्रार्थी आवागमन करता है। उपरोक्त खसरा नम्बरान से जो प्रचलित रास्ता है। वह प्रार्थी के खेत के नजदीक है एवं एक गांव से दुसरे गांव जाने वाला रास्ता उम्मेदसिंह के लिये वैकल्पिक रास्ता मौजुद है खसरा नम्बर 385 की जमीन उम्मेदसिंह के नजदीकी परिवार जनों की जमीन है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 उम्मेदसिंह ग्राम सारी के आम रास्ते में निर्माण कर रास्ते रोकने का दोषी रहा है। ग्राम सारी के खसरा नम्बर 341 अमलशुहर झंझालीया जोहड़ के उत्तर पश्चिमी दिशा में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 उम्मेदसिंह ने रास्ता के दोनों और पिलर निर्माण करके रास्ता को तंग कर दिया था तब अपीलान्ट व ग्राम के अन्य व्यक्तियों की शिकायत पर प्रशासन ने पिलर तोड़कर रास्ता चालु करवाया था इसलिये उपरोक्त रंजिश के कारण मौजुदा प्रार्थना पत्र उम्मेदसिंह ने झुंठा पेश किया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का आधार दर्ज नहीं किया। नियम 69 के मुताबिक पत्रावली में मौके की पटवारी हल्का की रिपोर्ट है जो क्षेत्राधिकार से बाहर है तहसीलदार ने मौका रिपोर्ट नहीं बनाई। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 हाल खसरा नम्बर 396 जिसके लिये रास्ता कायम करने का निर्णय किया है का खातेदार नहीं है। धारा 251 क का प्रार्थना पत्र सिर्फ खातेदार की पेश कर सकता है। इस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

कारण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के साथ अपील प्रस्तुत है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि आवेदक के खेत खसरा नम्बर 396 रकबा 1.62 हैक्टेयर में जाने हेतु तहसीलदार की रिपोर्ट के मुताबिक नजरी नक्शे में खसरा नम्बर 335 गैर मुमकिन रास्ते से भूमि खसरा नम्बर 351 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे भूमि खसरा नम्बर 352 की दक्षिणी सीमा तक रास्ता रिपोर्ट में लाल स्याही से दर्शाया गया रास्ता सबसे कम दूरी का रास्ता कायम किया जाना है। भूमि खसरा नम्बर 352 से आगे अन्य भूमि खसरा नम्बरान 355, 373, 374, 396, 395 व 394 तक आवेदक द्वारा मौके पर रास्ता चालु होना व मौके पर उक्त रास्ते में आवागमन होना बताया है। पत्रावली पर पूर्व में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 14.12.2017 में खसरा नम्बर 335 गैर मुमकिन रास्ते से अनावेदक की भूमि खसरा नम्बर 351 में से पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे भूमि खसरा नम्बर 352 की दक्षिणी सीमा तकसंलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से मार्क भूमि खसरा नम्बर 335 गैर मुमकिन रास्ते से भूमि खसरा नम्बर 351 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे भूमि खसरा नम्बर 352 की दक्षिणी सीमा तक 0.03 हैक्टेयर यानि कुल 300 वर्गमीटर भूमि रास्ते में जायेगी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। दौरान बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 52/2010 अंतर्गत धारा 212 में पारित निर्णय दिनांक 28.07.2011 एवं इसकी अपील में माननीय मण्डल द्वारा पारित निर्णय 08.08.2017 की प्रति प्रस्तुत की। अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार की जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुय विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है कि प्रस्तुत प्रकरण में रास्ते के संदर्भ में पक्षकारों के मध्य वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण लम्बित है। पूर्व में प्रार्थी द्वारा धारा 251 के अन्तर्गत भी कार्यवाही की गई थी। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता होने अथवा नहीं होने के संदर्भ में कोई अंकन नहीं है। धारा 251 में वैकल्पिक रास्ता नहीं होने की स्थिति में निकटतम रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। विचारण न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई विवेचन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधिक प्रकिया की पालना में पारित नहीं माना जा सकता है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार स्वयं से पुनः मौका रिपोर्ट तैयार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार स्वयं से धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना में मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 30.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर